

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

मोहनलाल

बनाम गिरधारीदास

केस संख्या

SD 02/18

63/14

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | दि |
|-------------|---------------------------|----------------------|----|
|-------------|---------------------------|----------------------|----|

8/5/18

पुनर्पत्नी मानवजातीय लोक कल्याण विभाग पुना 11
 के पेशे इसे पुनर्पत्नी का मालिकाना सिद्ध
 बना। सिधे उधारा से उपासी

वसि के द्वारा वाद पर पेशा किया
 कि गिरधारी पु.नं. 800 800/1321 (कुरु पिता
 028 037
 2 (पुत्र 0-65 के जितक साक्षिक पु.नं. 784/880
 हैं। साक्षिक पु.नं. 2020 से 2023 में दरसेदास
 केला माप्योपद्रव के माफ राजस्व रिपोर्ट में दर्ज
 थी तथा वसि ने दिनांक 28-6-12 को केला
 के वसुला समझौता किया था वही से वसुला
 किया कि सभारी या वसुला का यह मा 28
 है इस समझौते में शर्तें नाराजगार केला
 दरसेदास के एक पिता से एक बच्चे के (अप्य
 बेपार या लिख लिया था) वही ने यह भी
 निवेदन किया कि काम पुनर्पत्नी के कोई माप्योपद्रव
 काम का भंडार नहीं है। इस प्रकार राजस्व
 रिपोर्ट में पुनर्पत्नी के निवेदन किया।

उसिने गणने पुनर्पत्नी के पेशा किया कि
 पुनर्पत्नी का किसी प्रकार का मालिकाना हक नहीं है
 वह वसुला के माप्योपद्रव का बिकर है जिससे
 समझौते पुनर्पत्नी का बना भी किया हुआ है
 साथ ही यह भी निवेदन किया कि पु.नं. 2012 से 2013
 से ही जितक मालिकाना मालिकाना पुनर्पत्नी
 राजस्व रिपोर्ट में दर्ज है।

इसने पुनर्पत्नी का मालिकाना सिद्ध किया 1/1/19
 निवेदन कि यह पुनर्पत्नी का वसुला

